18/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी को आवाज गई। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद भी वकील वादी व वादी न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर वादी का वाद अदम हाजरी अधम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली पैसल कुमार होकर नम्बर कुल होकर वाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा